सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

भाद्र 2, मंगलवार, शाके 1943–अगस्त 24, 2021

Bhadra 2, Tuesday, Saka 1943- August 24, 2021

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 04, 2021

संख्या प.4(77)कृषि/ग्रुप-2/2003 :-इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13.12.2019 के द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आभासी कृषि उपज मण्डी क्षेत्र (Virtual Agricultural Produce Market Area) के अन्तर्गत मैसर्स एल.टी.सी. कॉर्मिश्यल कम्पनी प्रा.लि. जयपुर के ई-पोर्टल "e-krishimandi.com"को उक्त अधिनियम की धारा 5(1)(ग) के अन्तर्गत प्राइवेट उप ई-मण्डी घोषित की गई थी।

अब राज्य सरकार राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एल.टी.सी. कॉर्मिश्यल कम्पनी प्रा.लि. जयपुर के ई-पोर्टल "e-krishimandi.com"के अनुज्ञापत्र समर्पित किये जाने से उक्त अधिसूचना क्रमांक प.4(77)कृषि/ग्रुप-2/2003 जयपुर दिनांक 13.12.2019 को एतददारा निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

बृज गुप्ता,

उप शासन सचिव।

9168

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।